भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1173

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं

1173. श्री दिलीप घोष:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रगति के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में एमएसएमई द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों की पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार और जिले-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या एमएसएमई क्षेत्र में निकट भविष्य में कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय पश्चिम-बंगाल राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), नवाचार, ग्रामोद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना (एस्पायर), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) आदि सम्मिलित है।

सरकार ने देश और पश्चिम बंगाल में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनमें निम्न्लिखित शामिल हैं;

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ।
ii. एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
vi. एमएसएमई की शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. 02 जुलाई, 2021 से प्रभावी खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।
ix. 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों के लिए एमएसएमई के कार्य-निष्पादन में संवृद्धि एवं गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।
x. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 'एमएसएमई चैंपियंस' योजना के तहत क्रमश: दिनांक 10.03.2022 और 28.04.2022 को 'एमएसएमई नवोन्मेष स्कीम' तथा 'एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम' की शुरुआत की गई है। एमएसएमई नवोन्मेष स्कीम एमएसएमई में इंक्यूवेशन, डिजाइन इंटरवेंशन से तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण द्वारा एमएसएमई के बीच नवीकरण संवर्धन को लक्ष्य में लेकर तैयार की गई है। जबकि एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम मूल्यांकन मॉडल पर आधारित है, जिसमें विभिन्न मानदंड सम्मिलित हैं जोकि एमएसएमई को उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों में सुधार में प्रोत्साहन दे सकें तथा फिर उन्हें संधारणीयता की ओर बढ़ा सकें।

(ख) : पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल पर (01.04.2017 से 30.06.2020 तक) तथा नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल पर (दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक) एमएसएमई द्वारा राज्य वार तथा पश्चिम बंगाल में जिलावार सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या अनुबंध-I तथा अनुबंध-II पर दी गई है।

(ग) और (घ) : एमएसएमई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीम/कार्यक्रमों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। एमएसएमई मंत्रालय भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों पर निरंतर विचार-मनन करता है और उन्हें प्रारंभ करता है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1173, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-I

पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल (01.04.2017 से 30.06.2020 तक) तथा नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल पर (01.07.2020 से 31.03.2022 तक) देश में एमएसएमई में कार्यरत व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएसएमई द्वारा कुल रोजगार	
		दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2020 तक	दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक
1.	आंध्र प्रदेश	7,76,828	19,59,778
2.	अरुणाचल प्रदेश	14,536	34,897
3.	असम	1,20,723	8,02,483
4.	बिहार	9,73,856	21,71,088
5.	छत्तीसगढ	1,98,583	6,90,215
6.	गोवा	39,932	1,25,060
7.	गुजरात	20,50,245	47,68,658
8.	हरियाणा	7,14,748	24,92,102
9.	हिमाचल प्रदेश	62,966	3,19,713
10.	झारखंड	4,01,675	10,69,396
11.	कर्नाटक	14,76,255	47,35,493
12.	केरल	3,94,123	14,42,341
13.	मध्य प्रदेश	24,63,988	22,41,101
14.	महाराष्ट्र	51,17,148	91,40,856
15.	मणिपुर	1,60,448	2,09,373
16.	मेघालय	8,496	26,095
17.	मिजोरम	20,771	29,754
18.	नागालैंड	13,058	34,038
19.	ओडिशा	4,18,321	15,26,350
20.	पंजाब	6,35,797	18,57,010
21.	राजस्थान	14,79,894	40,33,169
22.	सिक्किम	5,398	13,825
23.	तमिलनाडु	32,63,297	74,34,496
24.	तेलंगाना	9,78,147	36,49,554
25.	त्रिपुरा	22,685	98,964
26.	उत्तराखंड	1,61,376	6,31,958
27.	उत्तर प्रदेश	22,93,981	49,69,464
28.	पश्चिम बंगाल	7,99,604	31,89,665
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11,723	1,83,510
30.	चंडीगढ़	41,753	1,73,052
31.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	48,841	1,15,909
32.	दिल्ली	8,97,992	25,56,741
33.	जम्मू और कश्मीर	35,617	5,77,926
34.	लद्दाख	344	16,415
35.	लक्षद्वीप	378	1,031
36.	पुडुचेरी	39,136	96,090
कुल		**2,61,42,663**	**6,34,17,570**

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1173, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-II

पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल (01.04.2017 से 30.06.2020 तक) तथा नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल (दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक) पर एमएसएमई में कार्यरत व्यक्तियों की बंगाल राज्य में जिला-वार संख्या निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	एमएसएमई द्वारा कुल रोजगार	
		दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2020 तक	दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक
1.	अलीपुरद्वार	10,096	17,273
2.	बांकुड़ा	18,502	29,622
3.	बीरभूम	27,210	60,699
4.	कूचबिहार	16,126	1,02,438
5.	दक्षिण दिनाजपुर	17,105	1,30,361
6.	दार्जिलिंग	14,918	68,855
7.	हुगली	36,300	1,05,327
8.	हावड़ा	56,309	1,56,051
9.	जलपाईगुड़ी	17,387	80,822
10.	झारग्राम	1,379	6,159
11.	कलिम्पोंग	519	2,140
12.	कोलकाता	1,78,187	8,83,867
13.	मालदा	22,027	73,526
14.	मुर्शिदाबाद	37,507	1,13,640
15.	नादिया	31,488	69,473
16.	उत्तर 24 परगना	1,06,703	3,24,043
17.	पश्चिम बर्दवान	25,634	1,19,380
18.	पश्चिम मेदिनीपुर	25,574	2,29,781
19.	पूर्व बर्दवान	38,338	1,09,811
20.	पूर्व मेदिनीपुर	25,114	1,14,488
21.	पुरुलिया	15,317	30,808
22.	दक्षिण 24 परगना	68,360	2,62,645
23.	उत्तर दिनाजपुर	9,488	98,459
	कुल	**7,99,588**	**31,89,668**